पत्रांक– वि०प्रा०त०शि० (VII) योजना–35/2025–

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं0 हक) बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

/पटना, दिनांक–

विषय :– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित बिहार काउन्सिल ऑन साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी तारामंडल, पटना द्वारा National Council of Science Museum(NCSM) के माध्यम से भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी (MSE) बस के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुमानित व्यय रू० 51.00 लाख + 18% GST= 60,18,000.00(साठ लाख अठारह हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं राशि बिहार काउन्सिल ऑन साईंस एंड टेक्नोलॉजी तारामंडल, पटना को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने दिनांक–18.09.2025 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित बिहार काउन्सिल ऑन साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी तारामंडल, पटना द्वारा National Council of Science Museum(NCSM) के माध्यम से भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी (MSE) बस के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुमानित व्यय रू० 51.00 लाख + 18% GST= 60,18,000.00(साठ लाख अठारह हज़ार रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं राशि बिहार काउन्सिल ऑन साईंस एंड टेक्नोलॉजी तारामंडल, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–43 अन्तर्गत राज्य स्कीम बजट के ''मुख्यशीर्ष'' –2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष –00, लघुशीर्ष –004– अनुसंधान, उपशीर्ष –0101– बिहार काउन्सिल ऑफ सांइस एंड टेक्नोलॉजी, पटना, रिमोट सेसिंग केन्द्र/इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर प्लेनेटोरियम, पटना के अधीन "31 06– सहायक अनुदान–गैर वेतन" विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 43–2203000040101 है।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (त०), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार (निर्माण भवन), विश्वश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा उसे CFMS प्रणाली से निदेशक –सह– सचिव (कार्यकारिणी), बिहार काउन्सिल ऑन साईंस एंड टेक्नोलॉजी, पटना के नाम से पी०एल० खाता में जमा किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

(a) Deposit Account Number- PNBPLA009

(b) Receipt HoA- 84480012000880001

(c) Payment HoA- 84480012000880002

5. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार सचिवालय कोषागार (निर्माण भवन), विश्वश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी।

6. निकासी की जाने वाली राशि का व्यय, बिहार वित्तीय नियमावली (संशोधन) 2005, वित्त विभाग के विभिन्न परिपत्रों एवं अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा।

7. विमुक्त हेतु स्वीकृत राशि की निकासी, विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार का अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है तथा आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०– वि०प्रा०त०शि० (VII) योजना–35/2025 के पृ० 24/टि० पर प्राप्त है।

9. परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साईंस एंड टेक्नोलॉजी, पटना द्वारा उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि (2), दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(कुमार सिद्धार्थ)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– वि०प्रा०त०शि० (VII) योजना–35/2025– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०त०शि० (VII) योजना–35/2025– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार (निर्माण भवन), विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– वि०प्रा०त०शि० (VII) योजना–35/2025– 5151 **/पटना, दिनांक–** 19.09.25

प्रतिलिपि– परियोजना निदेशक, बी०सी०एस०टी०, तारामंडल/उप महानिदेशक, नेशनल काउन्सिल ऑफ साईंस म्यूजियम (NCSM) कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/25

सरकार के संयुक्त सचिव